प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया	अध्यक्ष
2.	डॉ. विश्वनाथ (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
4.	प्रो. अरविन्द अग्रवाल (महामहिम राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
5.	डॉ. संजय नीलकंठराव लखेपाटिल (महामहिम राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6.	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
7.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
8.	डॉ. एस.एन.शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
9.	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
10.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
11.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	सदस्य
12	डॉ. विमलेन्दु तायल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित अधिष्ठाता)	सदस्य
13	श्री विश्राम मीणा	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर प्रबन्ध मण्डल में नव-मनोनीत एवं प्रबन्ध मण्डल में प्रथम बार उपस्थित माननीय सदस्यों प्रो. अरविन्द अग्रवाल, डॉ. एस.एन. शर्मा, डॉ. विमलेन्दु तायल का स्वागत किया गया।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार-विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :-

मगंसिविबी/बोम-विशेष/2014/296

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17-06-2014 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17-06-2014 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : विद्या परिषद् बैठक का कार्यवाही विवरण ।

निर्णय :- सदन ने विद्या परिषद् के कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

मगंसिविबी / बोम-विशेष / 2014 / 297

The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974 के प्रावधान 6 (2) के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति महोदया से प्राप्त निर्देशानुसार पूर्व बैठक के एजेण्डा बिन्दु 293 (विभिन्न चयन समिति की अनुशंसा) के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव :-

आचार्य, सूक्ष्म जैविकी के एक पद, सह आचार्य सूक्ष्म जैविकी के दो पदों, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के एक पद, सह आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान के दो पद, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के दो पद, सह आचार्य अंग्रेजी के दो पद एवं सह आचार्य, इतिहास के एक पद हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत विवरण(योग्यता, अनुभव एवं ए.पी.आई.), विज्ञापन एवं महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा जारी निर्देश दिनांक 20-06-2014 की प्रति माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई गई।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा जारी निर्देशों की पालना में कुलपति महोदया ने चयन समिति द्वारा प्रस्तुत सीलबंद अनुशंसाओं के लिफाफे खोलकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् श्री कैलाश डागा ने गत बैठक की भांति आपत्ति व्यक्त कि चयन पद्धति में प्रक्रियात्मक खामियाँ होने के कारण लिफाफे नहीं खोले जाने चाहिए, जिसका समर्थन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विधायक सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी एवं डॉ. विश्वनाथ, शिक्षाविद् डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, डॉ. एस.एन.शर्मा, डॉ. भुवनेश गुप्ता, एवं प्रो. एस.के. अग्रवाल ने किया। महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. अरविन्द अग्रवाल ने राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को सर्वोच्च एवं अनिवार्य मानते हुए आदेशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, जिसका समर्थन राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ संजय नीलकण्ठ राव लखेपाटिल, डॉ. एम.एम. सक्सेना, डॉ. विमलेन्दु तायल, एवं कुलसचिव विश्राम मीणा ने किया। कुलसचिव ने महामहिम राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनके आदेशों की पालना सुःनिश्चित कराने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। इस विषय पर माननीय सदस्यों में मत भिन्नता होने के कारण उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई।

कुलपति महोदया ने सदन से विशेष रूप से आग्रह किया कि महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार चयन समितियों की अनुशंसा पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है । तथापि शिक्षकों के पदो हेतु विज्ञापन में अंकित अर्हताओं एवं शर्तो

के आधार पर चयन समिति की अनुशंसा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए प्रबन्ध मण्डल स्वतंत्र
है, किन्तु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत ही नही किया जाना न
केवल अनुचित है बल्कि महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के निर्देशों का स्पष्ट उल्लघंन
है। किन्तु माननीय सदस्य प्रो. कैलाश डागा, डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी,
डॉ. विश्वनाथ, डॉ. एस.एन. शर्मा, डॉ. भुवनेश गुप्ता एवं प्रो. एस.के. अग्रवाल चयन समितियों द्वारा
प्रस्तुत अनुशंसा के लिफाफे नहीं खोले जाने पर अड़े रहे । अंततः माननीय कुलपति महोदया द्वारा
महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया द्वारा जारी निर्देशों की पालना में चयन समितियों द्वारा
प्रस्तुत अनुशंसा के लिफाफों को खोलना प्रारम्भ किया तो उक्त सभी सदस्य सदन का बहिष्कार कर
सदन से बाहर चले गए।

तत्पश्चात् कुलपति महोदया ने शेष सदस्यों डॉ. अरविन्द कुमार अग्रवाल, डॉ. संजय नीलकण्ठ
राव लखेपाटिल, डॉ. एम.एम. सक्सेना, डॉ. विमलेन्दु तायल, श्री विश्राम मीणा, कुलसचिव का
उपस्थिति में चयन समिति की अनुशंसाओं के लिफाफों को खोला। किन्तु महामहिम राज्यपाल एवं
कुलाधिपति महोदया द्वारा जारी निर्देशानुसार विभिन्न विषयों में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की
पात्रता, विशेषरूप से ए.पी.आई. स्कोर की जाँच हेतु विषयवार दो-दो विषय विशेषज्ञों की समिति के
गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अभ्यर्थियों के ए.पी.आई. स्कोर की जांच कर रिपोर्ट
कुलपति महोदया को प्रस्तुत करेगी। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परीक्षण हेतु
उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की पांच सदस्यीय समिति गठित करने का
निर्णय लिया गया जिसमें महामहिम कुलाधिपति महोदया द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. अरविन्द कुमार
अग्रवाल एवं डॉ. संजय नीलकण्ठ राव लखेपाटिल, कुलपति महोदया द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. एम.एम.
सक्सेना एवं डॉ. विमलेन्दु तायल एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. भुवनेश गुप्ता को
सम्मिलित किया गया। उक्त समिति में डॉ. विमलेन्दु तायल को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।
प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की उक्त समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत पात्रता सम्बन्धी रिपोर्ट का
अध्ययन किया जायेगा तथा चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुसार यदि चयनित अभ्यथी
पात्रता की समस्त शर्तें/अर्हताएं पूर्ण करते हैं तो उन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने का उपस्थित सदस्यों
द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तब तक चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को सार्वजनिक
नही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(विश्राम मीणा)
कुलसचिव